

# कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

## निविदा



## 2017–2018

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी  
स्मारक / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु लिकिड आक्सीजन  
की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु ई—निविदा फार्म  
(द्वितीय आमंत्रण)

कीमत रु. 5000/-  
(रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक—21 / 2017–18

**ई–निविदा विज्ञप्ति क्र. 21/2017–18**

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	31-07-2017 10:30 AM	13-08-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	31-07-2017 10:30 AM	13-08-2017 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	31-07-2017 10:30 AM	16-08-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	17-08-2017 12.30 PM	-	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	17-08-2017 12.35 PM	-	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचित किया जावेगा।	-	TO BE OPENED ONLINE

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 16.08.2017 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते हैं। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई–मेल:— [jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662—242104  
 संपर्क:— 07662—242104, 9179705483, 9302820764

**निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देशः—**

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सील्ड लिफाफे ए, बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे।

**लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः—**

1. धरोहर राशि रूपये 200000/- (दो लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

### लिफाफा बी मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. फर्म/संस्था की स्थापना के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
3. वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 (एसेसमेंट ईयर 15–16 एवं 2016–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
4. 100 रु. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
5. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
6. सी.ए. द्वारा जारी वार्षिक टर्न ओवर रु. 50.00 लाख या अधिक का प्रमाण पत्र
7. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति।
8. जीवित ड्रग लायसेंस की छायाप्रति (अधिकृत डीलर के लिए)
9. जीवित मैनुफैक्चरिंग लायसेंस की छायाप्रति (निर्माता के लिए)

### लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु नियम एवं शर्ते

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु वर्ष 2017–18 के लिये ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म कर्य करने का मूल्य रु. 5000.00(पांच हजार मात्र) निर्धारित है। यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महा. विद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नहीं होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफट पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों मे संशोधन करने का अधिकार होगा।

5. निविदा निर्माताओं/अधीकृत डीलरों की ही स्वीकृत की जावेगी। निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. निविदा प्रपत्र में लिकिवड आक्सीजन की दर प्रति क्यूबिक मीटर, परिवहन व्यय, प्रति बार, लिंकवड आक्सीजन टैंक का किराया प्रतिमाह एवं देय कर की राशि शब्दों एवं अंकों में अंकित की जानी चाहिये।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।
8. निविदा के साथ लिकिवड आक्सीजन प्रदायगी एवं प्लांट की स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रचलित अनुज्ञा पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा तथा निर्माता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अनुपालन और सुरक्षा संगठन की जरूरत एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से मंजूरी (लाईसेंस) की आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
9. निविदा के लिफाफे के ऊपर निविदाकार द्वारा सुरक्षित लिखावट में लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ती एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा अंकित की जानी चाहिये।
10. निविदाकार को मेडिकल ग्रेड की लिकिवड आक्सीजन जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच. में प्रदाय करनी होगी। इसकी गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा। लिकिवड आक्सीजन भण्डारण स्थान(टैंक) से चिकित्सालय कि पाईप लाईन प्लांट तक लाने में यदि किसी भी प्रकार का लिकेज अथवा दुर्घटना घटती है तो उक्त घटना के लिये निविदाकार पूर्णत उत्तरदायी होगा।
11. लिकिवड आक्सीजन के भण्डारण हेतु गांधी स्मारक चिकित्सालय में कस्तूरबा गांधी गेट के पास उपलब्ध स्थान पर 01 नग क्षमता 21 KL का टैंक द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा।
12. टैंक के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी तथा रखरखाव पर होने वाला व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। टैंक का मासिक किराया एवं उपयोग की जाने वाली लिकिवड आक्सीजन गैस का भुगतान माप के अनुसार देयक प्राप्त होने पर विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग के सत्यापन उपरांत किया जावेगा।
13. निविदाकार को जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच मे अनवरत (24x7) लिकिवड आक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। तकनीकी सटडाउन की अवस्था में कम्प्रैस्ड सिलेण्डर द्वारा आक्सीजन उपलब्ध कराना निविदाकार की जिम्मेदारी होगी। इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को दूरभाष/मोबाईल पर भी दी गई सूचना अनुसार लिकिवड आक्सीजन गैस प्रदाय करना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में आक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए।
14. तकनीकी सटडाउन की अवधि 7 दिन से ज्यादा नहीं होगी तथा अधिक शटडाउन होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के पास होगा।

15. टैंक मेरा आई तकनीकी खराबी को अतिशीघ्र सुधरवाने की जिम्मेदारी निविदाकार को होगी तथा इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा ।
16. टैंक मेरा हमेशा पर्याप्त मात्रा मेरा लिकिवड ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी नि. विदाकार की होगी ।
17. लिकिवड ऑक्सीजन की अनुमानित खपत लगभग 15 हजार क्यूबिक मी. प्रतिमाह होगी । टैंक का किराया एवं अनुमानित खपत की कीमत जोड़कर जिस निविदाकार की दरें न्यूनतम होंगी उसी निविदाकार की दरें स्वीकार की जावेगी ।
18. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त / अमान्य करने का अधिकार होगा ।
19. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित / जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी ।
20. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः पांच वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी । आदेश प्रथमतः एक वर्ष हेतु जारी किया जावेगा । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि आगामी चार वर्ष हेतु बढ़ा दी जावेगी ।
21. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है ।
22. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा यदि आक्सीजन की आपूर्ति में हीला—हवाली या टाल—मटोल करके विलम्ब किया जाता है, तो आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार से खरीद की जावेगी । इसमें अधिक भुगतान की वसूली निविदाकार के देयकों से वसूली जावेगी । इसके बावजूद यदि अधिक भुगतान की वसूली शेष रह जाती है तो उसके जमा अम. अन्त राशि 2,00000.00 (दो लाख मात्र) से काट ली जावेगी ।
23. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात् किया जावेगा, जिसमें समय भी लग सकता है । किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा ।
24. लिकिवड आक्सीजन मरीजों की जीवन रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है । अतः बिना पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारणों के अचानक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न किये जाने वाले कृत्य को मरीजों का जीवन खतरे में डालना निरूपित किया जावेगा । इसके लिये सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ—साथ वैधानिक कार्यवाही करने का विकल्प अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा ।
25. निविदा में संलग्न प्रपत्रों को पूर्ण कर निविदा के साथ भेजा जावे ।
26. यदि निविदाकार द्वारा लिकिवड आक्सीजन सप्लाई आगे के लिये किसी कारणवश बंद की जाती है तो इसकी लिखित सूचना तीन माह पूर्व निविदाकार द्वारा इस कार्यालय को दी जावेगी , ताकि कार्यालय सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें ।
27. निविदाकार को स्वयं के व्यय पर चिकित्सालय द्वारा नामित किए गए कर्मचारियों को प्लाण्ट संचालन के पूर्व संचालन संबंधी प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा । इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।

28. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात 90 दिवस के लिकिवड प्लाण्ट की स्थापना कर प्लाण्ट से प्रदायगी प्रारम्भ करनी होगी।
29. प्लाण्ट से लिकिवड आक्सीजन की प्रदायगी हेतु आवश्यक बिजली एवं पानी की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी।
30. भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार लगने वाले करों का भुगतान करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
31. लिकिवड आक्सीजन गैस भण्डारण स्थल से चिकित्सालय में स्थापित प्लाण्ट तक लाने में यदि किसी प्रकार का लीकेज/दुर्घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
32. निविदा शर्तों में प्रथम पक्ष संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.) एवं द्वितीय पक्ष निविदाकार होंगे।
33. यदि भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग (National Pharmaceutical pricing authority) नई दिल्ली द्वारा लिकिवड आक्सीजन गैस विक्रय की सीलिन्ग प्राइस (taxes as applicable) निर्धारित की गई हो, तो उसको ध्यान में रखकर सीमा के अनुसार ही दर भरी जावे।
34. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु (निविदाकार अपनें लेटरहेड में प्रस्तुत करें)  
प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक

## गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषय:- लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा बाबत् ।

—0—

महोदय,

मेरे द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं। अतः आनलाईन निविदा फार्म की हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निविदाकार का पूरा नाम .....
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं. ....
4. पिता का नाम .....
5. पत्राचार का पता .....
6. स्थायी पता .....
7. ई-मेल / फैक्स नं.
8. बैंक का नाम/शाखा/खाता संख्या/आई.एफ.एस. कोड.....  
.....

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

प्रपत्र – ए

( लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

लिविंड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्रमांक	डी.डी क्रमांक / दिनांक	बैंक का नाम	राशि	वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....

### तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें	परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें ।
------------	---------------------------------------	--	--

		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख) का डिमाण्ड ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित				
3.	फर्म/संस्था की स्थापना के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 (एसेसमेंट ईयर 15–16 एवं 2016–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)				
6	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
7.	सी.ए. द्वारा जारी वार्षिक टर्न ओवर रु. 50.00 लाख या अधिक का प्रमाण पत्र				
8.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति।				
9.	जीवित ड्रग लायसेंस की छायाप्रति (अधिकृत डीलर के लिए)				
10.	जीवित मैनुफेकचरिंग लायसेंस की छायाप्रति (निर्माता के लिए)				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....

## घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।

3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रोकटर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे / हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा सप्लाई की गई लिकिवड आक्सीजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई०/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाच लवित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे/संस्था पर राज्य शासन/भारत शासन को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम

पता.....

पता.....

2. गवाह का नाम.....

संस्था का नाम एवं पता.....

पता .....  
.....

**लिकिवड आक्सीजन एवं प्लांट हेतु निविदा वर्ष 2017–18**

## दर पत्रक(केवल आनलाईन भरा जावे)

लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु आपके कार्यालय से अभिप्राप्त नि. विदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन निविदा दरे प्रस्तुत है ।

क्र.	विवरण	दर	
		अंको में	शब्दो में
1.	लिकिवड आक्सीजन की दर प्रति क्यूबिक मीटर		
	परिवहन व्यय प्रति बार		
2.	लिकिवड आक्सीजन टैंक का किराया प्रति माह (21 KL क्षमता के 01 टैंक)		
	योग (1+2)		
	जी.एस.टी.		

निविदाकर्ता / सेवादाता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पूर्ण पता  
संस्था की सील